उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, श्रावस्ती।

पत्रांक 271/सा0प्र0/मार्गगतिनिबन्धन सूचना/2020 दिनांक 17 जून, 2020

सेवा में,

सम्पादक

01–अमर उजाला हिन्दी दैनिक समाचार पत्र भिनगा, श्रावस्ती।

02–हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र भिनगा, श्रावस्ती।

03–दैनिक जागरण, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र भिनगा, श्रावस्ती।

04–राष्ट्रीय सहारा, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र भिनगा, श्रावस्ती।

विषय–नगर निकायो को छोड़कर अवशेष सभी मार्गो पर गति निबन्धन कर अधिसूचना प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिवहन आयुक्त उ0प्र0 के पत्रांक 1986–स0सु0/2019 –44स0सु0/2014–17 दिनांक 19.12.2019 के द्वारा नगरीय निकायों को छोड़कर सभी मार्ग पर गति निबन्धित कर अधिसूचना प्रकाशित कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त सम्बन्ध अधिसूचना पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क/जनहित में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– यथोक्त।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), श्रावस्ती।

प्रतिलिपि–जिला सूचना अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), श्रावस्ती।

Anand 17/06/2020

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, श्रावस्ती उ0प्र0।

पत्रांक 264 /स0सु0/प्रवर्तन/2020 दिनांक 16 जून,2020

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड–1
श्रावस्ती।

विशय–मा0 मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 11.06.2020 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में भाहरी क्षेत्र को छोड़कर अवशेष सभी आवश्यक मार्गो पर गति निबन्धन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय से सम्बन्धित परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के परिप्रत्र सं0–1986स0सु0/2019–44स0सु0/2014–19 दिनांक 19.12.2019 तथा संलग्नक केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा–112 व उ0प्र0 मोटर नियमावली 1998 के नियम 178 (छाया प्रतियां संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,, जिसमें व्यवस्था स्थापित है कि **किसी नगर निगम पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर निबन्धन या सामान्यतया मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिशेध का ऐसा वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग उसके निकट, जहां से वे होते है, सूचना पट्टो के माध्यम से प्रकाशित किये जाऐंगे।**

इस प्रकार उक्त प्राविधानित व्यवस्था के अर्न्तगत शहरी क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रमीण क्षेत्रों के राष्ट्रीयरात मार्गो/राज्य राजमार्गो/मुख्य जिला मार्गो/अन्य मार्गो पर गति निबन्धन किये जाने की कार्यवाही प्रदेश के सभी जनपदों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत स्थानीय आवश्यकतानुसार गति पर निबन्धन की कार्यवाही करने हेतु विवरण निम्न प्रकार पर अधोहस्ताक्षरी को 10 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, तथा साथ ही ऐसे संवेदनशील प्रकरण में अपना अमूल्य सुझाव भी जनपद के मार्गे की स्थिति के दृष्टिगत प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके और शासन/परिवहन आयुक्त महोदय को भी अवगत कराया जा सके।

क0सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम एवं संख्या	चैनेज (कहां से कहां तक)	निर्धारित गति सीमा
1	2	3	4	5

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), श्रावस्ती।

पृष्ठांकन संख्याः उपर्युक्तवत्/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.730) प्रखण्ड–गोरखपुर को उपरोक्त तथा संलग्नक की एक–एक प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचना तथा अपना अमूल्य सुझाव भी अधोहस्ताक्षरी को देने का कष्ट करें ताकि मार्गो पर गति निबन्धन के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार/कार्यवाही करने हेतु सभी बिन्दुओं को समहित किया जा सके।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), श्रावस्ती।

नि:शुल्क प्रकाशन/जनहित

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, श्रावस्ती (उ0प्र0)।

पत्रांक 270/सा0प्र0/मार्गप्रतिनिबन्धन सूचना/2020 दिनांक 17 जून, 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम ,1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है और जंहा उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या– 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रावस्ती जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मागों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	सिरसिया–भिनगा–बहराइच संख्या–एस.एच.96ए)	सिरसिया–भिनगा–बहराइच	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	बहराइच–भिनगा–सिरसिया सम्बद्ध मार्ग	बहराइच–भिनगा–सिरसिया	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	बहराइच––मल्हीपुर–जमुनहा एवं सम्बद्ध मार्ग	बहराइच––मल्हीपुर–जमुनहा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	इकौना–विशेश्वरगंज–धनुही	इकौना–विशेश्वरगंज–धनुही	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	भिनगा–जमुनहा–परसाडेहरिया	भिनगा–जमुनहा–परसाडेहरिया	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन
ब) एम्बुलेंस ।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

उपरोक्त तालिका के कॉलम– 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा– 112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक– 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से

नरेश कुमार वर्मा
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद श्रावस्ती।

पृ0सं0– 270 स0सु0/2020 समदिनांकित–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3– जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
4– पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती।
5– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6– अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय/निमार्ण खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, श्रावस्ती।
7– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।

नरेश कुमार वर्मा
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद श्रावस्ती।